न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर विश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 9/2019
दायरा तिथि : 03.04.2019
आदेश तिथि : 27-5-2019
प्रार्थीगण :–

1. श्री राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा जाति माहेश्वरी
   निवासी 1478 बसन्कुंज नई दिल्ली
2. सुनील केजरीवाल पुत्र एस.एस. केजरीवाल जाति अग्रवाल
   निवासी फलेट 1685 बी. बसन्तकुंज, नई दिल्ली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

श्री नरपतसिंह चौहान — अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

–:: आदेश ::– दिनांक :27-5-2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित नियम–68
राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

प्रार्थीगण राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा जाति माहेश्वरी एवं सुनील केजरीवाल पुत्र एस.एस. केजरीवाल जाति अग्रवाल निवासीगण बसन्तुंज नई दिल्ली द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 2012 सपठित नियम 68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1148 रकबा 0.28 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए राजकीय खाते की भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन खसरा नंबर 1147 रकबा 0.89 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरी मे से नया रास्ता कायम करवाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजरथान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(प) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/03/pt/7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार, बाली ने उनके पत्रांक : राजस्व/2019/848 दनांक 22.05.2019 के प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम मोरीबेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1112 रकबा 1.53 हैक्टर, 1132 रकबा 0.94 हैक्टर, 1144 रकबा 0.33 हैक्टर, 1145 रकबा 0.75 हैक्टर, 1148 रकबा 0.28 हैक्टर, 1149 रकबा 0.31 हैक्टर कुल रकबा 4.14 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्ड अनुसार रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में आवागमन के लिए राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नंबर 1147 मेंसे ही होकर आना जाना करते हैं। इस प्रकार खसरा नंबर 1112, 1132, 1144, 1145, 1148, 1149 की भूमि में आवागमन का कोई विकल्प नही होने से ख.नं. 1147 राजकीय खाते की भूमि मे से नया रास्ता कायम करवाने जाने की अभिशंषा की गई हैं एवं आवेदक की वर्णित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होना जाहिर किया गया हैं।

पेज लगातार––2

...अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 09/2019 अनवान राहुल वगैरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार बाली की जांच अभिशंषा तथा भू.अ. निरीक्षक वेडा की मौका जांच के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक : प.3(52)राज-02.12.4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम मोरीवेडा स्टेशन के खसरा नंबर 1112 रकबा 1.53 हैक्टर, 1132 रकबा 0.94 हैक्टर, 1144 रकबा 0.33 हैक्टर, 1145 रकबा 0.75 हैक्टर, 1148 रकबा 0.28 हैक्टर, 1149 रकबा 0.31 हैक्टर कुल रकबा 4.14 हैक्टर भूमि मे आवागमन हेतु ग्राम मोरीवेडा स्टेशन खसरा नंबर 1147 रकबा 0.89 हैक्टर किस्म गै.मु. मगरी मे से 6 X 60=360 वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70(i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे।

प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	कुल क्षैत्रफल	किस्म भूमि	रास्ता के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	निर्धारित प्रतिकर राशि
1	राजस्थान सरकार	मोरीवेडा स्टेशन	1147	0.89 हैक्टर	गै.मु. मगरा	6 X 60=360 वर्ग मीटर	3504

उपरोक्त प्रभावित क्षैत्रफल के लिए प्रतिकर राशि रूपये 3504/- अक्षरे तीन हजार पॉच सौ चार रूपये निर्धारित की गई हैं। तहसीलदार, बाली के प्रतिवेदन के अनुसार अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष, फसल, निर्माण ईत्यादि कारित नही हैं। उक्त प्रतिकर राशि रूपये 3504/- आवेदक द्वारा राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार,बाली नियमानुसार, संलग्न नक्शानुसार कायम नया रास्ते की भूमि का अमल दरामद राजस्व रेकॉर्ड में करने के साथ नक्शे में भी तरमीम की जाकर पालना एक सप्ताह में मय खतौनी एवं नक्शा की प्रति सहित प्रस्तुत करे। संलग्न नक्शा मौका इस आदेश का भाग माना जावेगा।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी,
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2.019/ 603-607
दिनांक : 30-5-2019

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, बाली
2. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
3. भू.अ.निरीक्षक वेडा
4. पटवारी हल्का, दुदनी
5. आवेदक श्री राहुल शारदा पुत्र रवि शारदा जाति माहेश्वरी एवं सुनील केजरीवाल पुत्र एस. एस. केजरीवाल नि. बसन्तकुंज नई दिल्ली को सुचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उप - खण्ड अधिकारी, बाली
बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner